

## प्लेटो की न्याय सम्बन्धी धारणा

रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति एवं उसके आधिवास की खोज करना है, रिपब्लिक में उसकी इस न्याय सम्बन्धी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से सम्बन्धित (Concerning Justice) रखा गया है।

वर्तमान में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय के लिए किया जाता है, किन्तु प्लेटो में न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में न कानून नैतिक अर्थ में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म (लैकिक) के पर्यायवाची के अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ केवल यह है कि प्रमुख अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करें, जिनका पालन समाज की आवश्यकता एवं हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि समाज अपना राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्तित्व की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उत्प्रेक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निर्दिष्ट करते हैं और उत्प्रेक व्यक्ति द्वारा सन्तोषपूर्वक अपने-अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है।

① ⇒ परम्परागत सिद्धान्त - परम्परागत न्याय का सिद्धान्त नैतिकता के विचारों पर आधारित है। सोफालस के अनुसार - सत्य बोलना और दूसरों के कर्म को चुका देना ही न्याय है।  
पोलीमार्कस - प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है।

② ⇒ क्रान्तिकारी सिद्धान्त - इस धारणा का प्रतिपादन सोक्रेटस के के प्रतिनिधि थ्रेसीमेकस ने किया है। यह धारणा शक्ति ही सत्य है (Might is Right) के विचार पर आधारित है।  
थ्रेसीमेकस - शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। इसका थ्रेसीमेकस दो बातें कहता है।

① शासक की स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करण।  
② अन्याय न्याय से बेमूल्य है।

③ ⇒ कार्यकारण सिद्धान्त - इसके अनुसार न्याय एक क्रमिक वस्तु है इसका आधार कोई शास्त्र नियम न लेकर समुदाय के वफादारी हुई परम्पराएं हैं। प्राकृतिक अवस्था में निर्बल अनुषंगों को अनेक तरह उठाने पड़े थे, इसलिए उन्होंने इसका लक्षण का एक समझौता किया, जिसके आधार पर जानूना का निर्माण हुआ, जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदण्ड निर्धारित करते हैं। दंड की शक्ति के अभाव के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर जानूना का पालन करते हैं। अतः न्याय अथवा शिशु है - स्वयं



## प्लेटो के न्याय सिद्धान्त की विशेषताएँ

- नैतिक सिद्धान्त न कि वैधानिक

⇒ न्याय जीवन का एक आन्तरिक तत्व और सन्तुलनकारी घाटा

- न्याय कृत्रिम या बाह्य बल न होकर मनुष्य के अन्तःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका साक्षात् आत्मसंयम एवं आत्मत्याग है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में झारि को नहीं बरन सन्तुलन को अपनाया जाना चाहिए।

- न्याय विशेषीकरण का सिद्धान्त

⇒ अति व्यक्तिवाद का विशेषी और सावधान एकता का सिद्धान्त

- न्याय सिद्धान्त की एक प्रमुख मान्यता यह है कि

व्यक्ति समष्टि का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। न्याय विशेषीकरण का सिद्धान्त वर्गों एवं व्यक्तियों में अज्ञाना उत्पन्न करने के लिए नहीं बरन एकता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है।

- दार्शनिक शासक - न्याय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निःस्वार्थी और वर्तनपरायण व्यक्तियों के हाथ में हो। उपर्युक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक का नाम दिया गया है।

## प्लेटो के न्याय विद्वान की आलोचना

- कानूनी धारणा नहीं, बरन एक नैतिक धारणा

- दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित

⇒ मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं - इसमें

प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया

गया है और इसका लक्ष्य व्यक्ति की एक ही प्रकृति का

विकास है। केवल एक ही कार्य पर बल देते हैं व्यक्ति की

अल्प योग्यताएं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास

नहीं हो पाता और इसके अभाव में समाज का सर्वांगीण विकास भी सम्भव नहीं है।

- गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं

⇒ वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना सम्भव नहीं - प्लेटो के

समय में थोड़ी जनसंख्या वाले राज्य थे किंतु वर्तमान समय में

राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में होती है। इन राज्यों की जनसंख्या

को तीन वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य

निश्चय कर पाना सम्भव नहीं है।

⇒ सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होना - समाज के जिस

व्यक्ति को जिस क्षेत्त्र में रखा जाय, इसका निश्चय शासक वर्ग

ही करेगा। शासक वर्ग की शक्ति की सीमा नहीं है और उसे

सदैव शासक वर्ग ही बने रहना है। ये मार्ग सर्वाधिकारवाद

की ओर ले जाते हैं। कार्लपापरनै भी ऐसा ही कहा है।

- वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्पण अनुचित